

सहायक कलेक्टर  
(SDO), बाड़मेर

12/06/25

पत्रावली भेजा है।  
वादी/जमीन का देहात होने से  
कुछ नोट बरिज हो चुका है।  
सिद्धांत में हावेन-पत्राने का  
कोई कार्य नहीं है। यह हावेन  
इसी क्रम पर बरिज रिपट जाता  
है। पत्रावली मंत्रालय द्वारा लेकर  
हावेन इत्यादि है।

सहायक कलेक्टर  
(SDO), बाड़मेर